अध्याय III: वायुसेना

अनुबंध प्रबंधन

3.1 संविदा करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायुसेना द्वारा नौ वायुयानों के कुल तकनीकी सेवाकाल (टी.टी.एल) को बढ़ाने के लिए संविदा को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण 87.52 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। सभी नौ वायुयानों को उनके टी.टी.एल समाप्त होने के कारण जमीन पर खड़ा रहना पड़ा।

भारतीय वायुसेना ने 1985 तथा 1989 के मध्य अपनी संक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 17 वायुयान 'क' अपने बेड़े में सम्मिलित किए। इन वायुयानों की टी.टी.एल 20 वर्ष था। नवम्बर 2005 में, रक्षा मंत्रालय ने फर्म 'एम' के साथ छः वायुयानों का ओवरहाल और निर्धारित टी.टी.एल 30 वर्ष तक बढ़ाने हेतु एक संविदा 28.1 मिलियन डालर (128.22 करोड़ रूपए[1]) में की। संविदा ने क्रेता (रक्षा मंत्रालय) को अतिरिक्त 'क' वायुयानों के ओवरहाल /टी.टी.एल बढ़ाने हेतु उन्ही निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार अगले पाँच वर्षों (नवम्बर 2010 तक) प्रतिवर्ष 2.85 प्रतिशत गुणांक वृद्धि दर के आधार पर आदेश देने का वैकल्पिक प्रावधान दिया था।

जून 2006 में, भारतीय वायुसेना ने उक्त विकल्प उपयोग करने के लिए अतिरिक्त नौ वायुयान 'क' का ओवरहाल /टी.टी.एल बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव रखा। वायुयानों के अधिक संख्या में ओवरहाल किए जाने के आधार पर मूल्य का लाभ लेने के लिए मंत्रालय ने फर्म 'एम' से वार्ता की (अप्रैल 2007)। निर्धारित मूल्य 33.11 मिलियन यू.एस. डालर (139.09 करोड़ रूपए[2]) था, जो दिसम्बर 2007 तक वैध था। जब मंत्रालय में पिछली संविदा का परिशिष्ट मसौदा प्रक्रिया में था, दो अन्य फर्मों से दो आवेदन पत्र (मई/अगस्त 2007) में प्राप्त हुए जिसमें सविंदा का बगैर निविदा के जारी होने, विक्रेता के पास दिए गए कार्य की पर्याप्त सुविधाएं न होने तथा रक्षा खरीद नियमावली 2006 के प्रावधानों से हटने के आरोप लगाए गए थे।

---

1 रूपए 45.63 प्रति यू.एस.डी.

2 रूपए 42.01 प्रति यू.एस.डी.

हमारी जांच परीक्षा (फरवरी 2012) से पता चला कि रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों पर अन्तिम निर्णय केवल मार्च 2008 में ही लिया जब तक निर्धारित मूल्य की वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। फर्म 'एम' ने वैधता को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तथा दोबारा बातचीत करने की इच्छा जताई। जबकि भारतीय वायुसेना ने (मार्च 2008 में) सीमित निविदा पूछताछ के आधार पर दोबारा प्रस्ताव का अनुरोध भेजना पसंद किया। फर्म 'एम' का प्रस्ताव दोबारा से निम्नतम पाया गया और ओवरहाल /टी.टी.एल. बढ़ाने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा एक संविदा (दिसम्बर 2009) 41.77 मिलियन यू.एस. डालर (196.31 करोड़ रूपए)[3] के निर्धारित मूल्य स्तर पर की गई, जो कि दिसम्बर 2007 तक वैध पिछले निर्धारित मूल्य की बोली से 57.22 करोड़ रूपए अधिक थी। इसके अलावा, सभी नौ वायुयान दिसम्बर 2007 व सितम्बर 2009 के मध्य टी.टी.एल. समाप्त होने के कारण जमीन पर खड़े रहे। परिणामस्वरूप भारतीय वायुसेना को वायुयानों का उड़ने लायक बनाने हेतु फर्म 'एम' के पास ओवरहाल /टी.टी.एल बढ़ाने हेतु छोड़कर आने के लिए 6.45 मिलियन यू.एस. डालर (30.30 करोड़ रूपए) के न्यूनतम आवश्यक पुर्जों की खरीद करनी पड़ी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने (जून 2012) कहा कि -

- ❖ इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं है क्योंकि अप्रैल 2007 के प्रस्ताव तथा दिसम्बर 2009 कि संविदा के मध्य कीमतों का अंतर अतिरिक्त कार्यों को करने की वजह से था जैसा कि ओवरहाल /टी.टी.एल के मध्य समय को क्रमशः 20 से 35 वर्ष तथा 7 से 10 वर्ष बढ़ाने की वजह व कुछ अन्य प्रावधानों के कारण हुआ।
- ❖ बार बार शिकायत कर्त्ताओं द्वारा विभिन्न अधिकारियों को आवेदन भेजने से विभिन्न आरोपों की जाँच पड़ताल तथा उसमें यथायोग्य कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ।

हम मंत्रालय के उत्तर से सहमत नहीं क्योंकि

- ❖ हमने नौ वायुयानों के ओवरहाल /टी.टी.एल और टी.सी.ए.एस.[4] के आधार पर कीमतों का अंतर निकाला है। दोनों प्रस्तावों का कार्यक्षेत्र एक समान्तर था जैसा कि टी.टी.एल 20 से 30 वर्ष बढ़ाना मंत्रालय द्वारा अपने उत्तर में दर्शाए गए अतिरिक्त मदों की कीमत, हमने दोनों बोलियों की कीमतों को मिलान करते हुए आंकलन कर लिया गया था। दूसरी तरफ, टी.टी.एल को पहली बोली में 30 वर्ष बढ़ाने तथा दूसरी

[3] रूपए 46.99 प्रति यू.एस.डी.

[4] ट्रैफिक कोलिजन अवायडैन्स सिस्टम

बोली में 35 वर्ष बढ़ाने और इसी प्रकार ओवरहाल के मध्य समय को 7 वर्षों से 10 वर्षों तक बढ़ाना संविदा करने में हुए विलम्ब का सीधा परिणाम था।

- ❖ यद्यपि हम अनियमिताओं वाली शिकायतों पर उपयुक्त परीगमन लेने की महत्त्वपूर्णता को मानते हैं पर मंत्रालय को इन शिकायतों पर जरूरत अनुसार तुरन्त कार्यवाही कर इसकी जाँच पड़ताल समाप्त कर लेनी चाहिए थी और इस प्रणाली को विचाराधीन बोली के वैधता की तिथि के बाद नहीं घसीटना चाहिए था।

इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायुसेना द्वारा संविदा को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण 87.52 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ इसके अलावा भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक क्षमता भी प्रभावित हुई।

3.2 वायुक्षेत्र प्रकाश हेतु प्रणालियों के संस्थापन में असाधारण विलम्ब

निर्माण कार्यों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में कमियों के कारण रणनीतिक महत्त्व के दो हवाई अड्डों में वायुक्षेत्र प्रकाश प्रणालियों के संस्थापन में विलंब हुआ, जिससे भारतीय वायु सेना की संक्रियात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन विलंबों के परिणामस्वरूप, निर्माण कार्यों के लिए प्रावधान किए गए 4.82 करोड़ रूपए मूल्य के भंडारों की वारंटी बिना किसी उपयोग के समाप्त हो गयी।

वायुक्षेत्र प्रकाश प्रणाली (ए.एफ.एल.एस.), जिसमें टैक्सी पथ प्रकाश सम्मिलित है, अवतरण, उड़ान और टैक्सिंग संक्रियाओं के दौरान विमान सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने देखा कि रणनीतिक महत्त्व वाले दो वायुक्षेत्रों में ए.एफ.एल.एस. के संस्थापन एवं चालूकरण में उल्लेखनीय विलंब हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है :

मामला I

यद्यपि वायु सेना स्टेशन 'क' में संस्थापित वायुक्षेत्र प्रकाश प्रणाली का जीवनकाल मार्च 2004 में ही समाप्त हो गया था, परंतु 4.76 करोड़ रूपए की कुल लागत में टर्नकी आधार पर उसके प्रतिस्थापन हेतु आयुध निर्माण महानिदेशक, कोलकत्ता को वायुसेना मुख्यालय ने मई 2007 में एक मांगपत्र दिया, जो दिसंबर 2007 तक पूरा किया जाना था।

मांगपत्र जारी करने में विलंब के अलावा उसके कार्यान्वयन में भी विलंब पाये गए। जनवरी 2011 तक केवल 60 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूरे किए गए, जबकि निर्माण स्थल पर 95 प्रतिशत भंडार आ गए थे। नवंबर 2011 तक, कार्य में और कोई प्रगति नहीं हुई और संभाव्य

समापन तिथि को मार्च 2012 तक के लिए पांचवें विस्तारण का निवेदन किया गया था। इसी बीच, 3.70 करोड़ रूपए मूल्य के ए.एफ.एल.एस. उपस्करों की वारंटी समाप्त हो गयी थी।

इस प्रकार, वायुसेना मुख्यालय द्वारा ए.एफ.एल.एस. हेतु मांगपत्र जारी करने में विलंब और बाद में उसके चालूकरण में विलंब के कारण वायु सेना की संक्रियात्मक क्षमता 2004 से कम हो गयी, क्योंकि स्टेशन 'क' का मुख्य रनवे केवल दिन की उड़ानों के लिए उपलब्ध था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में इन तथ्यों को स्वीकार किया।

मामला II

रात्रिकाल और खराब दृश्यता की स्थितियों में रनवे को संक्रियात्मक बनाने हेतु टैक्सी पथ प्रकाश की आवश्यकता होती है। वायु सेना स्टेशन 'ख' में 0.21 करोड़ रूपए की लागत मे समांतर टैक्सी पथ के प्रकाश हेतु निर्माण व्यवस्था के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया (अक्तूबर 2004)। संस्थापन के लिए अपेक्षित उपस्करों का प्रावधान वायु सेना द्वारा किया जाना था। निर्माण कार्यों के लिए 0.23 करोड़ रूपए की लागत में एक संविदा (नवंबर 2005) की गई, जिसमें जून 2006 को संभाव्य समापन तिथि रखी गयी।

हमारी संवीक्षा के दौरान मालूम हुआ कि 0.14 करोड़ रूपए लागत के भंडार भारतीय वायुसेना द्वारा अपने भंडारो से आपूरित किए गए। (जनवरी 2007) तथा 0.97 करोड़ रूपए लागत वाले शेष उपस्करों के लिए केवल फरवरी 2007 में पूर्ति आदेश दिया गया। इस आदेश के तहत जून 2007 तक आपूर्ति की जानी थी। यद्यपि उपस्कर की आपूर्ति में विलंब थे, परंतु निर्माण कार्य सितम्बर 2010 तक शुरू नहीं किये जा सके, क्योंकि मुख्य रनवे का पुर्नसज्जीकरण कार्य चल रहा था।

इसी बीच, अक्तूबर 2004 में दी गयी संस्वीकृति उसके जारीकरण की तिथि से पांच वर्षों के निर्धारित समय के अंदर निर्माण प्रारंभ न किए जाने के कारण समाप्त हो गयी थी। इससे 0.53 करोड़ रूपए के लिए एक नयी मंजूरी जारी करना आवश्यक हो गया (सितंबर 2011) परन्तु नई संविदा अभी तक (मार्च 2012) नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, 1.12 करोड़ रूपए मूल्य के भंडार की वारंटी भंडारण में ही समाप्त हो गयी थी और निर्माण कार्यों की लागत 0.29 करोड़ रूपए तक बढ़ गई।

वायु सेना प्राधिकारियों ने उत्तर दिया (मार्च 2011) कि समांतर टैक्सी पथ प्रकाश के अभाव में टैक्सी पथ के किनारों को चिन्हित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रति परावर्ती टैक्सी पथ किनारा चिन्हकों का प्रावधान किया गया था।

यह अंतरिम उपाय, तथापि, टैक्सिंग गति को सीमित करता है, जो वायुयान को उड़ान और अवतरण के पूर्व खुले क्षेत्र में अधिक समय तक ठहरने के लिए विवश कर देता है। इससे युद्ध की स्थिति में ये वायुयान असुरक्षित हो जाते हैं।

सात वर्षों से अधिक समय तक समांतर टैक्सी पथ प्रकाश का संस्थापन करने में वायु सेना की असमर्थता के कारण संक्रियात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

तथ्यों को मानते हुए मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2012) कि संक्रियात्मक आवश्यकता एवं उड़न सुरक्षा के लिए अस्थायी उपायों का स्थायी टैक्सी प्रकाश से प्रतिस्थापन किए जाने की आवश्यकता है।

अधिप्राप्ति

3.3 कलपुर्जों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

विकल्प खंड अन्तर्गत संविदा के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कलपुर्जों की खरीद पर 9 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने (नवम्बर 2007) एस.यू. 30 एम.के.आई. वायुयान के कलपुर्जों (रोटेबल्स) की 382 लाइनों की खरीद का मैसर्स एविएशन होल्डिंग कम्पनी " सुखोई" (आपूर्तिकर्ता) से 78.05 मिलियन यू.एस. डालर (312 करोड़ रूपए)[5] की एक संविदा की। वायुयान बेड़े के रखरखाव के दृष्टिकोण से रक्षा मंत्रालय ने नवम्बर 2007 में मूल संविदा के विकल्प खंड के अन्तर्गत 375 लाइनों के कलपुर्जों का 62.83 मिलियन यू.एस. डालर (267 करोड़ रूपए)[6] के एक पूरक आदेश पर (दिसम्बर 2008), वर्ष 2009 की मूल्य वृद्धि को स्वीकृत करते हुए हस्ताक्षर किए। मूल संविदा की शर्तों के अनुसार, क्रेता (मंत्रालय) को यह अधिकार था कि वह उपकरण के लिए समाश्वासन अवधि की समाप्ति से पहले विक्रेता को

[5] 1 यू.एस.डी. = 40.00 रूपए
[6] 1 यू.एस.डी. = 42.50 रूपए

उसी कीमत एवं शर्तों के अनुसार अतिरिक्त आपूर्ति आदेश दे सकता था, यदि विकल्प खंड के अन्तर्गत आपूर्ति आदेश 31 मार्च 2009 से पूर्व दिया जाए। यदि आपूर्ति 31 मार्च 2009 के बाद की जानी है तो कीमत आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के सूत्रानुसार बढ़ा दी जाएगी।

हमने देखा कि विकल्प खंड ने उसी तरह के कलपुर्जों के लिए मूल संविदा में दिए गए सम्बन्धित मूल्यों सहित निबन्धन एवं शर्तों पर अतिरिक्त कलपुर्जों के मूल्य को चिन्हित करती थी। जब मंत्रालय ने शुद्ध मूल्य का आपूर्ति आदेश दिया तो इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मूल संविदा में छूट (13.0381 प्रतिशत) थी । इसने अधिक छूट पाने के लिए बिना किसी गंभीर प्रयास के केवल 10 प्रतिशत छूट स्वीकार की।

भारतीय वायु सेना, रक्षा मंत्रालय, विकल्प खंड के अन्तर्गत कीमतों पर वह सौदेबाजी नहीं कर पाया जो कि उसने मूल संविदा में कलपुर्जों की शुद्ध मूल्यों पर प्राप्त की थी। कलपुर्जे जो कि मूल संविदा के विकल्प के रूप में 60.71 मिलियन यू.एस. डालर (258 करोड़ रूपए) की लागत से खरीदे जा सकते थे, वास्तव में 62.83 मिलियन यू.एस. डालर (267 करोड़ रूपए) में खरीदे गए, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 9 करोड़ रूपए की हानि हुई।

मंत्रालय ने (जुलाई 2012) बताया कि सरकार को कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि वास्तव में 13.0381 प्रतिशत का अन्तर प्रस्तावित मूल्य एवं समझौते की बातचीत के परिणामस्वरूप अंतिम मूल्य जो कि एकमुश्त प्रस्ताव था, के कारण आया था जिसे सामान्य परिस्थितियों में एक थोक छूट नहीं समझा जा सकता। जबकि विकल्प खंड के अन्तर्गत पूरक संविदा में 10 प्रतिशत की एक मुश्त छूट कीमतों की विद्यमान नीति के अनुसार थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल संविदा के अनुलग्नक में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि विक्रेता संविदा के अन्तर्गत कलपुर्जों की कुल लागत पर 13.0381 प्रतिशत की छूट देगा। इसलिए, विक्रेता संविदात्मक रूप से 2007 की मूल संविदा की शर्तों के अनुरूप विकल्प खंड के अन्तर्गत की गई खरीद पर भी 13.0381 प्रतिशत की छूट देने के लिए बाध्य था। मंत्रालय ने विक्रेता को उस मूल्य-स्तर को बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

3.4 ईंधन प्रणाली प्रशीतन अवरोधक की अधिप्राप्ति

अल्प जीवनकाल वाले एक उत्पाद, जिसका प्रारंभ से अधिक प्रावधान किया गया था, के प्रतिस्थापन के मामले में विक्रेता के साथ अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही करने के कारण 1.15 करोड़ रूपए की परिहार्य हानि हुई।

ईंधन प्रणाली प्रशीतन अवरोधक (एएल-31) का प्रयोग ऐसे वायुयानों में किया जाता है, जिनमें उनकी सुरक्षित संक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उच्च तुंगता पर विमानन टरबाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) का मिश्रण करने हेतु कोई ईंधन हीटर नहीं होता है। 'एएल-31' जो भारतीय वायु सेना द्वारा प्रयोग किया जानेवाला एक ईंधन प्रणाली प्रशीतन अवरोधक है, का स्वदेशी विकास मैसर्स स्वास्तिक ऑइल प्रोडक्ट्स, नवसारी द्वारा किया गया है तथा उसका जीवनकाल निर्माण की तिथि से 12 महीनों का है।

वायु सेना मुख्यालय ने मार्च 2009 में 2.06 करोड़ रूपए की लागत पर 99,000 लीटर 'एएल-31' की आपूर्ति हेतु मैसर्स स्वास्तिक ऑइल प्रोडक्ट्स, नवसारी को पूर्ति आदेश दिया। पूर्ति आदेश में अक्टूबर 2008 में जारी प्रस्ताव हेतु अनुरोध में मांगी गयी 45 दिनों के स्थान पर 60 दिनों के अंदर संपूर्ण सामग्री की सुपुर्दगी निर्दिष्ट की गयी। फर्म ने मार्च 2009 में ही आदेशित परिमाण की आपूर्ति कर दी।

हमने यह पाया (नवंबर 2010) कि 99,000 लीटर में से 1.15 करोड़ रूपए मूल्य के 55,390 लीटर विभिन्न इकाइयों के भंडार में पड़ा था। हमने यह भी देखा कि अप्रयोगी अत्पाद के अधिक मात्रा में जीवनकाल समाप्त होने की संभाव्य स्थिति में वायु सेना मुख्यालय ने जनवरी और फरवरी 2010 में उसके नमूने को जीवनकाल के अतिरिक्त विस्तारण हेतु दो भिन्न अभिकरणों को भेजा। चूँकि ये नमूने जीवनकाल विस्तारण हेतु (जनवरी 2010) निर्धारित प्राचलों को पूरा करने में विफल हो गए, इसलिए वायु सेना मुख्यालय द्वारा एएल-31 का जारी करना बंद कर दिया गया। चूँकि यह उत्पाद अपने जीवनकाल के भीतर ही विफल हो गये थे, इसलिए समूचे भंडार का प्रतिस्थापन करने के लिए फर्म से (फरवरी 2010) कहा गया। फर्म ने उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीलबंद नमूनों की जांच करने के लिए वायु सेना मुख्यालय से अनुरोध किया (फरवरी 2010)।

यद्यपि वायु सेना मुख्यालय ने स्वीकार किया (नवंबर 2011) कि उत्पाद का अधिक प्रावधान किया गया तथा सुपुर्दगी के लिए भिन्न समयक्रम रखने से इस उत्पाद का बेहतर उपयोग किया जा सकता था, परंतु फर्म के अनुरोध पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिए लेखापरीक्षा के सामने कोई भी साक्ष्य नहीं रखा गया। फर्म ने यह कहते हुए भंडार का प्रतिस्थापन करने से इंकार कर दिया (सितंबर 2010) कि दोनों ही नमूनों की जांच उनके प्रतियोगियों की प्रयोगशाला में की गयी थी और विक्रेता की अनुपस्थिति में कोई भी जांच करना वैध नहीं था। फर्म ने इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि भंडार का जीवनकाल मार्च 2010 में ही समाप्त हो चुका था तथा इस अवस्था में कोई भी जांच जीवनकाल के विस्तारण के लिए थी और इसके लिए वे किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं थे।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2012) कि उत्पाद उसके जीवनकाल की समाप्ति, जो मार्च 2010 तक थी, के पहले विफल हो गया और इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि अधिप्राप्त उत्पाद के 56 प्रतिशत को उसके जीवनकाल की समाप्ति के दो महीनों के पूर्व तक क्यों जारी नहीं किया गया जो कि स्पष्टतया अधिक प्रावधान की ओर संकेत करता है जैसा कि वायुसेना मुख्यालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि विक्रेता की जानकारी के उत्पाद के सीलबंद नमूने की जांच क्यों नहीं की जा सकी। इसके साथ उत्पाद के प्रतिस्थापन के लिए, जो उसके जीवनकाल के अंदर ही विफल हो गयी थी, प्रभावकारी अनुवर्ती कार्यवाही करने में विफलता के कारण 1.15 करोड़ रूपए की परिहार्य हानि हुई।

विविध मामलें

3.5 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर बचत

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 1.33 करोड़ रूपए की बचत हुई

अधिकारियों के बोर्ड की सिफारिशों जून 2008 के आधार पर पश्चिम वायु कमान मुख्यालय, नई दिल्ली ने 1.33 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर (96 लाख रूपए की लागत वाले जिमनेशियम भवन सहित) वायु सेना स्टेशन, कसौली में क्रीडा अवसंरचना के प्रावधान के लिए स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 2008)। रक्षा सेवाओं के आवसीय मापदण्डों के अनुसार ऐसे स्टेशन जिनके पास कम से कम 1000 सैनिकों का संख्याबल है,

जिमनेशियम के लिए प्राधिकृत है। वायु सेना स्टेशन, कसौली, जिसका संस्वीकृत सैनिक बल 233 है, आपेक्षित मापदण्डों को पूरा नहीं कर सका और इस प्रकार जिमनेशियम के लिए प्राधिकृत नहीं था। हमारी टिप्पणी के आधार पर (जून 2009) वायु सेना प्राधिकारियों ने नवंबर 2010 में प्रशासनिक अनुमोदन को निरस्त किया, जिससे 1.33 करोड़ रूपए की बचत हुई।

मंत्रालय ने दिसंबर 2011 में इन तथ्यों को स्वीकार किया।